FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0052 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/03/2024 21:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/03/2024

      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:00 बजे **Time To (समय तक):** 13:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/03/2024 **Time (समय):** 18:15 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/03/2024 21:34:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 8 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b)**Address(पता):** Police Station Sodhala

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Buddhiprakesh Prajapat

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** Hanuman Prasad

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Kumharo Ki Dhani, Village Ranaoli, Piplu, TONK, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	Kumharo Ki Dhani, Village Ranaoli, Piplu, TONK, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7340627011

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Ashok Kumar Meena		पिता:Chandar Ram Meena	1. 104,Secoter 5,Indira Gandhi Nager,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)** 20,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 19.03.2024 को परिवादी श्री बुद्धिप्रकाश प्रजापत पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति कुम्हार, उम्र 29 वर्ष, निवासी कुम्हारों की ढ़ाणी, ग्राम राणोली, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राज. ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि मैं बुद्धिप्रकाश प्रजापत मिलैनियम पैट्रोल पम्प, अजमेर रोड़, जयपुर पर वर्ष 2017 से सैल्समेन का काम करता था। वर्ष 2022 में भी मैं वहीं पर कार्यरत था। दिसम्बर 2022 के आस-पास मुझे मिलैनियम पैट्रोल पम्प, अजमेर रोड़, जयपुर व एचपी सैन्टर पैट्रोल पम्प, विद्याधर नगर, जयपुर को सभंलने वाले श्री बाबुलाल मीणा ने मुझे विद्याधर नगर पैट्रोल पम्प पर सैल्समैन के काम पर लगा दिया था। जनवरी 2023 में मुझे पता चला कि मिलैनियम पैट्रोल पम्प पर काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों ने पैसो के लेन-देन में गड़बड़ कर दी थी। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि पुलिस थाना सोडाला पर इस बाबत एक मुकदमा नं. 52/23 मिलैनियम पैट्रोल पम्प पर रुपयों की धोखाधड़ी को लेकर दर्ज हुआ था। इस एफआईआर में मेरा कहीं भी नाम नहीं था। उसके बाद इस मुकदमें के जांच करने वाले श्री अशोक मीणा थानेदार जी ने मेरे को आज से करीब 01 वर्ष पूर्व मेरे मोबाईल पर फोन करके थाने पर बुलाया था। मैं मेरे कामों में व्यस्त रहने के कारण मैं उसके पास सोडाला थाने पर नहीं जा सका। उसके बाद मई 2023 में मेरे को थाने पर उपस्थित होने के लिए श्री अशोक मीणा थानेदार जी ने मेरे मोबाईल व्हाट्सएप पर एक नोटिस भेजा था। जिस पर मैं नोटिस मिलने के 02-03 दिन बाद श्री अशोक मीणा थानेदार जी से जाकर मिला था, तो उन्होंने एक-दो खाली कागजों पर मेरे हस्ताक्षर करवाकर मेरे को वापस भेज दिया था। उसके बाद 6-7 दिन पहले मेरे पास श्री अशोक मीणा थानेदार जी का फोन आया तथा मेरे को फिर से थाने पर बुलाया, जिस पर मैं रविवार दिनांक 17.03.2024 को उनके पास गया तो श्री अशोक मीणा थानेदार जी ने मेरे से 30,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की तथा कहा कि अगर तु मेरे को उक्त रिश्वत राशि नहीं देगा तो मैं तेरे को उक्त मुकदमा नं. 52/23 में झूंठा फंसा दूंगा, मेरे द्वारा हाथा-जोड़ी करने पर 20,000 रुपये रिश्वत राशि के लिए तैयार हुआ। मैं श्री अशोक मीणा थानेदार जी को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं और उसे रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री अशोक मीणा थानेदार जी से कोई रंजिश या लेन-देन बकाया नहीं है। कानूनी कार्यवाही करे। परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वंय के द्वारा लिखा जाना बताया तथा प्रार्थना पत्र के साथ एफआईआर सं. 52/23, धारा 420, 409 भादस थाना सोडाला, जयपुर शहर (दक्षिण) की प्रति तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी श्री बुद्धिप्रकाश के नाम जारी धारा 41 (ए)(1) जा.फौ. के नोटिस की प्रति स्वंय की हस्ताक्षरशुदा पेश की। जिस पर निर्देशानुसार मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम कार्यवाही करते हुये उक्त शिकायत का दिनांक 21.03.2024 को सत्यापन करवाया गया तो मुकदमा नं. 52/23 थाना सोडाला के अनुसंधान अधिकारी श्री अशोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी को उक्त मुकदमें झूंठा नहीं फंसाने की ऐवज में पूर्व में मांगी गई 20,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। जिस पर स्वतंत्र गवाहान पांबंद करवाये गये तथा दिनांक 29.03.2024 को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दिनांक 21.03.2024 परिवादी श्री बुद्धि प्रकाश प्रजापत व संदिग्ध आरोपी श्री अशोक कुमार मीणा के मध्य हुई रिश्वत माँग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार कर डीवीडी तैयार की गई। उसके बाद परिवादी को कहने पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री बुद्धिप्रकाश प्रजापत पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति कुम्हार, उम्र 29 वर्ष, निवासी कुम्हारों की ढ़ाणी, ग्राम राणोली, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राज. को कहने पर उसने अपने पास से संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बरो का विवरण फर्द में अंकित किया जाकर सभी नोटों पर श्री रामजीलाल सहायक उप निरीक्षक से कार्यालय आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में फिनोफ्थलीन पाउडर एक अखबार पर डालकर उक्त सभी नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर भलीभांति लगवाया गया और परिवादी श्री बुद्धिप्रकाश प्रजापत की जामा तलाशी ली जाकर परिवादी के पास उसके मोबाईल के अलावा अन्य कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं छोड़ी गई और उक्त पाउडर युक्त नोट परिवादी श्री बुद्धिप्रकाश प्रजापत की पहनी हुई पेंट की सामने की दांयी जेब में श्री रामजीलाल सहायक उप निरीक्षक से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत मुनासिब की गई व गवाहान व परिवादी को फिनोफ्थलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाया जाकर नियमानुसार फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकार्डर

तैयार की गई। उसके बाद समय 12 05 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, श्रीमती राजबाला महिला कॉनि. 495 मय टे᠎ैप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक ट्रेप कार्यवाही से संबंधित सामान के ब्यूरो कार्यालय जयपुर से जरिये सरकारी वाहन संख्या आरजे 14 युडी 1394 मय चालक के वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु ब्यूरो कार्यालय से थाना सोडाला, जयपुर के लिए रवाना हुआ तथा परिवादी श्री बुद्दि प्रकाश प्रजापत को भी उसकी निजी मोटर साईकिल से श्री आलोक कुमार हैड कानि. 10 के साथ, श्री मनु शर्मा कानि. 111 के साथ स्वतंत्र गवाह श्री तुषार गौतम, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक को निजी मोटर साईकिल से व श्री हरिसिंह कानि. नम्बर 19 के साथ स्वतंत्र गवाह श्री रोहिताश सिंह गुर्जर, वरिष्ठ सहायक को निजी मोटर साईकिल से तथा श्री बंशीधर कॉनि. 363 व श्री लालू सैनी कॉनि. 419 को निजी मोटर साईकिल से सोडाला थाना से पहले मिलने के लिए हिदायत कर रवाना होकर सोडाला थाने से पहले पहूंच कर परिवादी को आवश्यक हिदायत कर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालु कर संदिग्ध आरोपी से सम्पर्क करने हेतु थाना सोडाला के लिए रवाना किया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत कर परिवादी के पीछे-पीछे आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस भी पीछे-पीछे रवाना हुआ। समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री बुद्धिप्रकाश प्रजापत पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति कुम्हार, उम्र 29 वर्ष, निवासी कुम्हारों की ढ़ाणी, ग्राम राणोली, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राज. ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को पूर्व हिदायतानुसार पुलिस थाना सोडाला के मुख्य गेट के पास सिर पर हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि लिये जाने का ईशारा किया। ईशारा मिलने पर आस-पास खड़े मुकीम टेप पार्टी के सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस अपने साथ लेकर अन्दर पहुंचा तथा परिवादी को पूर्व में सुपुर्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को प्राप्त कर बंद कर सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री बुद्धि प्रकाष प्रजापत ने बताया कि पुलिस की वर्दी पहने हुये श्री अषोक कुमार मीणा थानेदार जी ने मेरे से एक सफेद कागज में रिष्वती राषि को रखवाने के बाद थाने के अन्दर बुलाकर थाने की प्रथम तल पर सफेद कागज में रखी हुई रिष्वती राषी 20,000 रुपये को अपने हाथ में प्राप्त कर प्रथम तल पर ही बाथरुम के पास किचननुमा छोटे कमरे में कुर्सी पर रखे एक कागजों के बस्ते के नीचे अपने हाथों से रखकर थानेदार जी प्रथम तल पर बने एक अन्य छोटे कमरे में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया है। जिस पर परिवादी श्री बुद्धि प्रकाष प्रजापत को साथ लेकर मय हमराहीयान के थाना सोडाला में प्रथम तल पर पहुंचा, जहा पर एक कमरे में पुलिस की वर्दी पहने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यह श्री अषोक कुमार मीणा थानेदार जी हैं, जिसने मुझसे अभी-अभी सफेद कागज में रखी हुई 20,000 रूपये रिश्वती राशि अपने दाहीने हाथ से प्राप्त कर इसी तल पर बाथरुम के पास किचननुमा छोटे कमरे में एक कागजों के बस्ते के नीचे अपने हाथ से रखा है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने अपना नाम पता श्री अषोक कुमार मीणा पुत्र श्री चन्दरराम, जाति मीणा, उम्र 43 वर्ष, निवासी मकान नं. ए-60, कप्तान मीणा कॉलोनी, अलवर हाल किरायेदार श्रीमती हेमा मीणा का मकान, सैक्टर-5, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर हाल उप निरीक्षक, पुलिस थाना सोडाला (दक्षिण) जयपुर मोबाईल नम्बर 9414418732 होना बताया। मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अषोक कुमार मीणा को आवश्यक हिदायत देकर परिवादी श्री बुद्धि प्रकाष प्रजापत से 20,000 रूपये ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो श्री अषोक कुमार मीणा ने बताया कि मैं उक्त थाने पर उप निरीक्षक पुलिस के पद पर कार्यरत हूं व मुकदमा नं. 52/2023 थाना सोडाला का अनुसंधान अधिकारी हूं। श्री बुद्धिप्रकाष मेरे पास मुकदमा नं. 52/2023 थाना सोडाला के अनुसंधान के संबंध में मेरे पास आया था तथा हमारी मुकदमें के संबंध में बातचीत हुई, फिर थोड़ी देर तक रुककर वापस चला गया, मैंने इनसे रिष्वत राषि प्राप्त नहीं की। इसके पश्चात मौके पर मौजूद परिवादी श्री बुद्धि प्रकाष प्रजापत ने श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस के कथनों का खण्डन करते हुये बताया कि पुलिस थाना सोडाला पर दर्ज मुकदमा नं. 52/23 की जांच के संबंध में 16-17 दिन पहले मेरे पास श्री अशोक मीणा थानेदार जी का फोन आया तथा मेरे को फिर से थाने पर बुलाया, जिस पर मैं रविवार दिनांक 17.03.2024 को इनके पास गया तो श्री अशोक मीणा थानेदार जी ने मेरे से 30,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की और तीन लिखे हुये कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जो मैंने पढ़े नहीं थे तथा कहा कि अगर तु मेरे को उक्त रिश्वत राशि नहीं देगा तो मैं तेरे को उक्त मुकदमा नं. 52/23 में झूंठा फंसा दूंगा, मेरे द्वारा हाथा-जोड़ी करने पर 20,000 रुपये रिश्वत राशि के लिए तैयार हुये थे उसके बाद दिनांक 19.03.24 को मैं आपके कार्यालय में गया था तथा आपके निर्देषानुसार दिनांक 21.03.2024 को आपके कार्यालय के श्री आलोक कुमार जी के साथ आप द्वारा मेरे को भेजने पर मैं सोडाला थाने में इनसे मिला था, जिन्होंने पूर्वानुसार मुकदमा नं. 52/23 में झूंठा नहीं फसंने की ऐवज में पूर्व में मांगी गई रिश्वत राशि 20,000 से कम में नहीं मानना तय कर आज मैंने इनको थाने के बाहर आकर मेरे मोबाईल से इनके मोबाईल पर थाने के बाहर आने के लिए बताया था। जिस पर श्री अषोक कुमार मीणा थानेदार जी थोड़ी देर बाद नीचे स्वागत कक्ष की खिड़की से मुझ बाहर खड़े हुये को अपनी जेब से मुड़ा हुआ एक सफेद कागज दिया तथा धीमे से कहा कि रुपये इस कागज में डालकर मैन गेट से अन्दर आजा, जिस पर मैंने उनसे प्राप्त सफेद कागज में उक्त 20000 रुपये बाहर ही डालकर बाहर से ही थाने के मैन गेट पर आया था, जहां पर श्री अषोक कुमार मीणा थानेदार जी भी थाने के अन्दर की तरफ से थाने के मैन गेट पर आये व मैन गेट से मेरे को अन्दर लिया व एक रजिस्टर में एन्ट्री करवाने के बाद मेरे को अपने साथ थाने के मुख्य दरवाजे में प्रवेष कर सिढ़ीयों से प्रथम तल पर लेकर आये और प्रथम तल पर ही पीछे की तरफ बाथरुम के पास बने

किचननुमा छोटे कमरे के पास ले जाकर सफेद कागज में रखी हुई 20,000 रूपये रिश्वती राशि अपने दायें हाथ से प्राप्त कर उक्त किचननुमा छोटे कमरे में कुर्सी पर रखे एक कागजों के बस्ते के नीचे अपने हाथ से रख दिये। परिवादी श्री बुद्धिप्रकाष प्रजापत से पूर्व में प्राप्त विभागीय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सरसरी तौर पर चला कर सुना गया तो श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस व परिवादी की वक्त लेन-देन के समय की वार्ता होना पाई गई। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी व स्वतंत्र गवाह तथा श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस को साथ लेकर इसी प्रथम तल पर पीछे की तरफ बने बाथरुम के पास किचननुमा छोटे कमरे में प्रवेष किया तथा परिवादी के बताये अनुसार एक कुर्सी पर रखे कागजों के बस्ते को श्री रोहिताष कुमार गुर्जर स्वतंत्र गवाह से उठवाया गया तो बस्ते के नीचे एक सफेद कागज के अन्दर दिखते हुये रुपये नजर आये, रुपयों का कुछ हिस्सा सफेद कागज से बाहर की तरफ निकला हुआ था। श्री रोहिताष कुमार गुर्जर स्वतंत्र गवाह से उक्त सफेद कागज को उठाया गया तथा कागज को अलग कर देखने पर 500-500 रुपये के नोट मिले जिसको दोनो स्वतंत्र गवाहान से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये मिले । जिनका मिलान पूर्व में बनाई गई फर्द पेशकशी से किया गया तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये हुबहू वही नम्बरी नोट होना पाए गए। उपरोक्त 20,000 रूपये के नोटों को पृथक से सफेद कागज के साथ नत्थी कर सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक का नया गिलास निकलवाकर पुलिस थाना सोडाला से एक जग में साफ पानी मंगवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास को धुलवाकर तथा गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस के दायें हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गदमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क त्.1 व त्.2 अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार ट्रेप बॉक्स में से एक अन्य साफ प्लास्टिक का नया गिलास निकलवाकर पुलिस थाना सोडाला से एक जग में साफ पानी मंगवाकर गिलास में साफ पानी डालकर गिलास को धुलवाकर तथा गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया जाकर स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात् प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे स्वतंत्र गवाहान व हाजरीन ने गदमैला होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क स्.1 व स्.2 अंकित कर चिट चस्पा कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। इसके पश्चात एक अन्य साफ प्लास्टिक के गिलास में पूर्वानुसार घोल तैयार करवाकर सफेद कागज जिसमें रिश्वती राशी बरामद हुई थी, को एक साफ कपड़े की चिंदी से पौंछकर उस कपड़े की चिंदी को गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने गुलाबी होना स्वीकार किया। जिसे दो साफ कांच की शीशियो में आधा-आधा डालकर सील चिट मोहर कर मार्क ज्ञ.1 व ज्ञ.2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। जिस सफेद कागज में रिश्वती राशि रखी हुई थी, उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क ज्ञ अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया तथा जिस साफ कपड़े की चिंदी से सफेद कागज को पौंछा गया था, उस पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक कपड़े की थैली में सील मोहर कर मार्क ब् अंकित कर पैकिट पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। उसके पश्चात श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस से मुकदमा नम्बर 52/2023 थाना सोडाला की अनुसंधान पत्रावली के बारे में पूछने पर पूर्व में मौजूद मिले कमरे की टेबिल पर सामने रखी एक पत्रावली उक्त मुकदमें की अनुसंधान पत्रावली होना बताया, जिसका सरसरी तौर पर अवलोकन करने पर मुकदमा नं. 52/2023 थाना सोडाला की मोटी पत्रावली, जिसके अन्दर पृथक से 05 सैट भी रखे थे, जिसकी प्रमाणित प्रति पृथक से प्राप्त की जायेगी, मूल पत्रावली को थानाधिकारी को सुपूर्द किया गया तथा श्री अषोक कुमार मीणा से परिवादी से दिनांक 17.03.2024 को हस्ताक्षर करवाये गये पृष्ठों के बारे में पूछा तो श्री अषोक कुमार मीणा द्वारा इसी कमरे की आलमारी खोलकर उक्त तीन पृष्ठ दिये, जिनके अवलोकन से श्री बुद्धिप्रकाष का पूछताछ नोट होना पाया, जिस पर श्री बुद्विप्रकाष ने अपने हस्ताक्षर होना ताईद किया तथा उक्त पृष्ठों पर श्री अषोक कुमार मीणा का नाम अंकित है, परन्तु हस्ताक्षर नहीं है। उक्त पूछताछ नोट के तीनों पृष्ठों पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वति राशि तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद पुलिस थाना सोडाला परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की ट्रेप कार्यवाही के समय की सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग चलवाकर देखी गई, जिसमें भी परिवादी के बताये अनुसार ट्रेप कार्यवाही की ताईद होती है। तत्पश्चात आरोपी श्री अशोक कुमार मीणा से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किया गया तथा आरोपी श्री अशोक कुमार मीणा को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवा कर दिनांक 21.03.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व

दिनांक 29.03.2024 को वक्त रिश्वती लेन-देन परिवादी व आरोपी श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस के मध्य हुई वार्ता के संबंध में अपनी नमूना आवाज देने बाबत् पूछने पर आरोपी श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस ने नमूना आवाज देने से स्पष्ट इंकार कर दिया। जिसकी फर्द नमूना आवाज तैयार की गई। ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान आरोपी श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से 20,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने का अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अपराध से आगाह कर आरोपी श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस को हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी में मिले मोबाईल को शील्ड मोहर कर बतौर वजह सबूत कब्जा ए0सी0बी0 लिया गया। घटनास्थल का स्वतंत्र गवाहान व परिवादीगण के समक्ष निरीक्षण कर परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके पश्चात दिनांक 30.03.2024 को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दिनांक 29.03.2024 को परिवादी श्री बुद्वि प्रकाश प्रजापत व आरोपी श्री अशोक कुमार मीणा के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार कर पृथक-पृथक डीवीडी तैयार की गई। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान शील्डशुदा आर्टिकल्स पर लगाई गई सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार की गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा कब तक ला देगा गिरफ्तारी की तो हम को टेंशन.... गड़बड़ी होगी तो 5 मिनट में ही उठा लेगे कहने पर परिवादी श्री बुद्धिप्रकाश द्वारा नहीं सुणो सर ये परसो के दिन सरसो बेचूंगा कल तो ये ड्यूटी जाउंगा सर ये परसो के दिन सरसो बेचूंगा ना कहने पर आरोपी द्वारा हूं.. कहा गया तथा आरोपी द्वारा कॉडिंग थोड़ी कर रहा है कहा गया। परिवादी द्वारा पेले दिन अपने तीन चार दिन के अन्दर अन्दर आपके पैमेन्ट आ जायेगा हाथ जोड़ के विनती है और पैमेन्ट आपको नहीं दूं जब आप नोटिस कुछ भी करो ना और आपकी मेहरबानी थोडे़ ओर कम हो जाये तो (परिवादी ने 20,000 रुपये से कम करने हेतु एसओ से विनती की) कहने पर आरोपी द्वारा इससे कम में नहीं होगी क्योंकि हमारा रीडर भी लेता है, एसएचओ भी है कई जगह होता है, ऐसे ये बात है, ये छोरा काम करता है, ये लेता रहता है हजार दो-तीन हजार रूपये है ना एसएचओ भी लेता है कहा गया। परिवादी द्वारा कोई...ओर कम हो जाये तो सर देख लो कहने पर आरोपी द्वारा नहीं इससे तो कम नहीं होगा कहा जिस पर परिवादी द्वारा कर लो कहने पर आरोपी द्वारा इससे कम नहीं होगा कहा गया तथा इसी प्रकार फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेन-देन वार्ता में आरोपी द्वारा इसमें लपेट के आजा (परिवादी ने बताया कि आरोपी ने रिश्वती राशि को दिये गये कागज मे लपेट कर लाने का इशारा करते हुए कहा) कहा गया तथा परिवादी द्वारा पूरे बीस हजार है कहा गया। आरोपी द्वारा ....हैं नाम तो हट जायेगा" तथा अरे कह दिया ना जान लेगो (लेगा) क्या......... आदि वार्ताऐं है। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि पुलिस थाना सोडाला में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 52/23 जिसका अनुसंधान श्री अषोक कुमार मीणा पुलिस उप निरीक्षक, पुलिस थाना सोडाला, जयपुर द्वारा किया जा रहा है, जिसमें परिवादी को झूंठा नहीं फंसाने की ऐवज में श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से 20,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर दिनांक 29.03.2024 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के दौरान श्री अषोक कुमार मीणा उप निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से 20,000 रुपये रिश्वत राशि अपने हाथों से प्राप्त की गई, जो कि अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (यथा संशोधित 2018) अधिनियम के अपराध में प्रथम दृष्टया प्रमाणित है। अतः आरोपी श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री चन्दर राम, जाति मीणा, उम्र 43 वर्ष, निवासी मकान नं. ए-60, कप्तान मीणा कॉलोनी, अलवर हाल किरायेदार मकान नं. 104, सैक्टर-5, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना सोडाला (दक्षिण) जयपुर के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। भवदीय (नीरज गुरनानी) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नीरज गुरनानी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अशोक कुमार मीणा पुत्र श्री चन्दरराम मीणा निवासी मकान नम्बर ए60, कप्तान मीणा कॉलोनी, अलवर हाल किरायेदार मकान नम्बर 104, सैक्टर–5, इन्दिरा गांधी नगर जयपुर हाल उप निरीक्षक पुलिस थाना सोडाला (दक्षिण) जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2024 उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–तृतीय, जयपुर को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई।उक्त की रोजनामचाआम रपट 359 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 249-52 दिनांक 30.3.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1.विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या–1 जयपुर। 2.पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURESH KUMAR SWAMI **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/03/2024 21:36:40

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)